A.P.S.M. College, Baraum, Begusarai.
Vipul Kumar Verma, Deptt. of History
S.L.M. for class - B.A.(H)
Paper - III, Unit - 3
Topic :- "विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय शासन"

विजयनगर काल में चोलकालीन सभा को कहीं-कहीं महासभा, उर एवं महाजन कहा जाता था। गाँव को अनेक वार्डों या मुहल्लों में विभाजित किया जाता था। 'सभा' में विचार-विमर्श के लिए गाँव या क्षेत्र विशेष के लोग भाग लेते थे। 'सभा' नई भूमि या अन्य प्रकार की सम्पत्ति उपलब्ध कराने, गाँव की सार्वजनिक भूमि को बेचने, ग्रामीणों की तरफ से सामूहिक निर्णय लेने, गाँव की भूमि को दान में देने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती थी।

न्यायिक अधिकारों के अन्तर्गत सभा के पास दीवानी मुकदमों एवं फौजदारी के छोटे मामलों का निर्णय करने का अधिकार होता था। 'नाडु' गाँव की बड़ी राजनीतिक ईकाई के रूप में प्रचलित थी। नाडु की सभा को नाडु एवं सदस्यों को 'नात्तवार' कहा जाता था। अधिकार क्षेत्र काफी विस्तृत होते थे, पर शासकीय नियंत्रण में रहना पड़ता था। विजयनगर के शासनकाल में इन स्थानीय संस्थानों का ह्रास हुआ। 'सेनैय्यवा' गाँव के आय-व्यय की देखभाल करता था 'तलय' गाँव के चौकीदार को कहते थे। 'बेगरा' गाँव में बेगार, मजदूरी आदि की देख-भाल करता था।

ये ग्रामसभाएँ राजकीय करों को भी एकत्र करती थीं और इस संबंध में अपने पास भू-आलेखों को भी तैयार रखती थीं। यदि कोई भूस्वामी लंबे समय तक लगान अदा नहीं कर पाता था तो ग्रामसभाएँ उसकी भूमि को भी जब्त कर सकती थीं। किसी प्राकृतिक आपदा के आने पर ग्राम-सभाएँ राजा से लगान या कर-विशेष की माफी के लिए भी निवेदन करती थीं। इस तरह शासन की राजस्व नीति के क्रियान्वयन में इन सभाओं की एक बहुमुखी भूमिका रहती थी। ये स्थानीय संस्थाएँ यदि नियमानुसार ग्राम की व्यवस्था नहीं कर पाती थीं तो उन्हें दंडित किया जा सकता था।

विजयनगर काल में इन संस्थाओं की जीवंतता लगभग समाप्त हो गई। इसके कारणों के विषय में संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि 'अमरनायक व्यवस्था' ने स्थानीय स्वायत्तता और इन ग्रामीण गणतंत्रों के स्वतंत्र जीवन को समाप्त कर दिया।

— x —

Scanned with CamScanner